फर्द अहकाम
(नियम 26)

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील जारी हुए।

न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 01/2016

सरकार बनाम विनोद पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मण्ड्रेला

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 07.04.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल विनोद पुत्र नेतराम जाति कुम्हार निवासी मण्ड्रेला द्वारा ग्राम मण्ड्रेला की भूमि ख.नं. 1124/170 कुल रकबा 1.46 हैक्टे. किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.05 हैक्टे पर सरसो फसल काश्त करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसमें कैफियत में उक्त काश्तकार ने संवत् 2071 में फसल काश्त करने का उल्लेख किया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल उपस्थित। गैर सालय ने जबाब पेश किया कि मैने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। मैने मेरी स्वंय की भूमि पर फसल काश्त की है तथा गॉव की आपसी रंजिश एवं पार्टीबाजी के चलते गलत नोटिस दिया है

निर्णय हेतु रिपोर्ट पटवारी एवं जबाब गैर सायल का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट पटवारी में किसी भी प्रकार के साक्ष्य सबूत इस आश्य के पेश नही किये गये जिससे गैर सायल का पश्चातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होता हो। प्रकरण में भूमि की किस्म गै. मु. जोहड़ है जो माननीय उच्च न्यायालय की रीट सं. 1536/2003 अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार वगैरह के निर्णय से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिस पर अतिक्रमी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 3 रू. पैनेल्टी आरोपित की जाती हैं। भू.अ. निरीक्षक द्वारा कुर्क शुदा फसल को नीलाम कर राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावें। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश कुमार
तहसीलदार चिड़ावा

तहसीलदार चिड़ावा
जिला–झुन्झुनूं

42
17-7-16